

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर-0522-2724030) ई-मेल आई0डी0-logisticoffice4@gmail.com
पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-151/2023 दिनांक: लखनऊ : मई 17, 2024

आदेश

उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 4/2024/417/सैतालीस-का-1-2024-13 (2)/2024 दिनांक 10-05-2024 द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125(14)/2018 दिनांक 10-01-2024 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(31)-2023 दिनांक 01-01-2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2023 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 10-01-2024 के क्रम में 01 अप्रैल, 2024 को 11 एवं 01 मई, 2024 को 07 कुल-18 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं | वरिष्ठता क्रमांक | पीएनओ सं० | कार्मिक का नाम | पिता का नाम | नियुक्ति स्थान | चयन वर्ष |
|--------|------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 189 | 980580165 | भानु प्रताप श्रीवास | श्री राम कृपाल | महोबा | 2023 |
| 2 | 190 | 980551615 | अजय कुमार चौरसिया | श्री श्रीकान्त चौरसिया | सुरक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ | 2023 |
| 3 | 192 | 960560503 | राजेन्द्र कुमार यादव | श्री इन्द्रजीत यादव | बलरामपुर | 2023 |
| 4 | 193 | 980450967 | रमेश कुमार | श्री बसन्त लाल | कौशाम्बी | 2023 |
| 5 | 194 | 980750979 | नरेश यादव | श्री निहाल सिंह | अलीगढ | 2023 |
| 6 | 195 | 980441901 | मनोज कुमार यादव | श्री किशोरी लाल यादव | देवरिया | 2023 |
| 7 | 196 | 980500200 | राजमन यादव | श्री विभूति यादव | 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा | 2023 |
| 8 | 197 | 980451524 | संजीव कुमार यादव | श्री हेगू राम यादव | कौशाम्बी | 2023 |
| 9 | 199 | 980540783 | राम प्रकाश कुरील | आनन्द माधो कुरील | कमिश्नरेट, लखनऊ | 2023 |
| 10 | 200 | 030550748 | प्रवीण कुमार | श्री सूबेदार सिंह | मुजफ्फरनगर | 2023 |
| 11 | 201 | 940470778 | सर्वेश कुमार | श्री राम प्रकाश सिंह | कमिश्नरेट कानपुर नगर | 2023 |

| क्र.सं | वरिष्ठता क्रमांक | पीएनओ सं० | कार्मिक का नाम | पिता का नाम | नियुक्ति स्थान | चयन वर्ष |
|--------|------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| 12 | 202 | 960770656 | अरुण कुमार | श्री संतोष कुमार अग्निहोत्री | कमिश्नरेट कानपुर नगर | 2023 |
| 13 | 203 | 960480502 | विनोद बाबू | सोरान सिंह | फतेहगढ | 2023 |
| 14 | 204 | 980750807 | विनोद कुमार | त्रिलोकचन्द्र | शाहजहाँपुर | 2023 |
| 15 | 206 | 980731941 | राकेश सिंह | श्री जितवार सिंह | कमिश्नरेट कानपुर नगर | 2023 |
| 16 | 207 | 980650471 | राजकिशोर | श्री देवेन्द्रवीर सिंह | कमिश्नरेट कानपुर नगर | 2023 |
| 17 | 208 | 980730023 | सुखवीर सिंह | श्री सुघर सिंह | हरदोई | 2023 |
| 18 | 210 | 980450824 | ब्रजेश कुमार यादव | श्री गुलाब यादव | सीतापुर | 2023 |

2- पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।


4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6- आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क



अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ/कानपुरनगर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ एवं मुजफ्फरनगर।
4. पुलिस अधीक्षक, महोबा/बलरामपुर/कौशाम्बी/देवरिया/फतेहगढ़/शाहजहाँपुर/हरदोई एवं सीतापुर।
5. सेनानायक, 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)

पुत्र-----निवासी-----

थाना-----जनपद-----वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)

----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) 'मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ----- में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०-----द्वारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉर्ज एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग-----वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।